



(8)

“ राज्य लोक सेवा अभिकरण के बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के अंतर्गत गठित मंडल, परिषद कमेटियां आदि ”

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (viii) के अंतर्गत)

राज्य लोक सेवा अभिकरण म.प्र. लोक सेवा प्रबंधन विभाग की स्वशासी संस्था है। राज्य लोक सेवा अभिकरण की संरचना में निम्नानुसार 02 समितियां हैं - (1) साधारण सभा (2) कार्यकारी परिषद

(1) साधारण सभा -

क्र.	नाम/ पता, व्यवसाय	अभिकरण में पद
1.	मान. मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन	सभापति
2.	मान. मंत्री, लोक सेवा प्रबंधन विभाग	उप सभापति
3.	मान. मंत्री, राजस्व विभाग	सदस्य
4.	मान. मंत्री सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
5.	मान. मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
6.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग एवं पदेन महानिदेशक, लोक सेवा अभिकरण	सदस्य सचिव
9.	प्रमुख सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
10.	लोक प्रशासन/ सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति *	चार सदस्य
11.	लोक सेवा/ लोक प्रशासन/ प्रबंधन से संबंधित संस्था *	दो सदस्य
12.	मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले से जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के अधिकृत प्रतिनिधि	20 सदस्य रोटेशन अनुसार। प्रत्येक दो वर्ष में परिवर्तित किये जावेंगे।

(2) कार्यकारी परिषद

क्र.	सदस्य	पद
1.	प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग एवं पदेन महानिदेशक, लोक सेवा अभिकरण	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग या उसके प्रतिनिधि	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग या उसके प्रतिनिधि	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग या उसके प्रतिनिधि	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग या उसके प्रतिनिधि	सदस्य
6.	कार्यपालन संचालक, लोक सेवा अभिकरण	सदस्य
7.	उपाध्यक्ष द्वारा नामांकित दो सदस्य	सदस्य
8.	महानिदेशक द्वारा नामांकित जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के दो सदस्य	सदस्य

अधीनस्थ कार्यालय - राज्य लोक सेवा अभिकरण म.प्र. अंतर्गत कार्यालय सी.एम. हेल्पलाईन, सी-21 मॉल, होशंगाबाद रोड, भोपाल संचालित है।